प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक : 954/2005

याचिकाकर्ता : मेसर्स एशलर (इंडिया) कोरबा यूनिट।

बनाम

उत्तरवादीगण : अतिरिक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त, रायपुर एवं अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय एवं आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 5 जुलाई, 2013 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक : 954/2005

याचिकाकर्ता : मेसर्स एशलर (इंडिया) कोरबा यूनिट।

बनाम

उत्तरवादीगण : अतिरिक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त, रायपुर एवं अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका ।

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति।

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री शशांक दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित

श्री आनंद मोहन तिवारी, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से श्री एम.पी.एस. भाटिया,

उप शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 5 जुलाई, 2013 को घोषित)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता अतिरिक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 62(1) के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 10.01.2005 (अनुलग्नक पी/4) को अभिखंडित करने की मांग करता है, जिसके द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, रायपुर के वर्ष 2000-2001 के निर्धारण आदेश दिनांक 30.06.2003 (अनुलग्नक पी/2) की पुष्टि की गई है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता एक साझेदारी फर्म है, जो निर्माण अनुबंध के निष्पादन के कार्य में संलग्न है। अवधि 01.04.2000 से 31.03.2001 के लिए, याचिकाकर्ता को दिनांक 30.06.2003 के आदेश द्वारा कर के भुगतान हेतु निर्धारित किया गया था। निर्धारण अधिकारी (संक्षेप में 'ए.ओ.') ने निर्माण अनुबंध के निष्पादन के दौरान उपयोग की गई कर-भुगतान वाली वस्तुओं की बिक्री और मूल्य वर्धित कर (संक्षेप में 'वैट') के लिए उत्तरदायी राशि 1,13,71,311/- रुपये निर्धारित की और इस राशि पर 10% लाभ का अनुमान लगाया तथा 11,04,616/- रुपये पर 9.2% की दर से कर जोड़ा। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 62(1) के तहत अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 10.01.2005 (अनुलग्नक पी/4) के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया कि वैट अधिरोपित करने वाला निर्धारण अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं था, क्योंकि निर्माण अनुबंध के निष्पादन में माल का उपयोग 'बिक्री' की श्रेणी में आता है और ऐसी बिक्री के लाभ घटक पर वैट उद्ग्रहणीय है। अतः, यह याचिका प्रस्तुत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. श्री शशांक दुबे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो श्री आनंद मोहन तिवारी, विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं, यह निवेदन किया कि अधिनियम, 1994 की धारा 2(टी)(ii) में निहित 'विक्रय' की परिभाषा का अर्थ माल में संपत्ति का अंतरण है, चाहे वह माल के रूप में हो या कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल किसी अन्य

रूप में। श्री दुबे नें आगे यह निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, किसी व्यापारी द्वारा अनुसूची II में विनिर्दिष्ट माल के अपने कर-योग्य आवर्त (टर्नओवर) पर कर देय होता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 2(डब्ल्यू) के अनुसार, कर-योग्य आवर्त से तात्पर्य उस आवर्त से है जिसमें से कर-मुक्त विक्रय, कर-दत्त विक्रय, घोषणा पत्र पर बेचे गए माल और आवर्त में सम्मिलित कर को घटा दिया गया हो। उन्होनें आगे यह तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 2(एक्स), 'कर-दत्त माल' को एक पंजीकृत व्यापारी से क्रय किए गए और अनुसूची II के भाग II से VI में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के रूप में परिभाषित करती है, जिस पर प्रथम बिंदु पर कर का भुगतान कर दिया गया हो। अधिनियम की धारा 9-बी, जिसे दिनांक 01.05.1997 से अंतःस्थापित किया गया था, ऐसे आवर्त में से घोषित माल के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और उसमें निहित कर तत्व को घटाने के पश्चात किसी भी कर-दत्त माल के पुनर्विक्रय के संबंध में कर के अधिरोपण का प्रावधान करती है। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य ने मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 को अपनाया है, अतः 2000-2001 के दौरान कर की दर 8% थी। सुसंगत अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 10-ए के अधीन, कर पर 15% का अधिभार उद्ग्रहणीय था। इस प्रकार, प्रभावी दर 9.2% थी। निर्धारण आदेश में, कर की गणना अधिनियम की धारा 9-बी के अधीन की गई थी। सहायक आयुक्त ने उस व्यापारी के पास कर-दत्त माल के विक्रय मूल्य का उल्लेख 1,13,71,311/- रुपये के रूप में किया है जिससे उन्हें क्रय किया गया था। उनके स्वयं के आदेश के अनुसार, अनुमत विक्रय मूल्य 1,19,75,730/- रुपये है। 6,04,419/- रुपये का अंतर वह राशि है जो 9.2% की दर से अधिनियम की धारा 9-बी के अधीन कर योग्य है। तथापि, ए.ओ. ने 1,13,71,311/- रुपये के क्रय पर 10% लाभ की गणना की है जो कि 11,37,131/- रुपये है और इस पर 9.2% की दर से कर अधिरोपित किया है जो 1,04,616/- रुपये होता है। यह न केवल त्रुटिपूर्ण है बल्कि असंवैधानिक भी है क्योंकि लाभ पर कोई विक्रय कर नहीं लगाया जा सकता। यह केवल 6,04,419/- रुपये के मूल्य संवर्धन पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार, 6,04,419/- रुपये पर 9.2% की दर से कर 55,610/- रुपये बनता है।श्री शशांक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दुबे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो श्री आनंद मोहन तिवारी, विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं, यह निवेदन करेंगे कि अधिनियम, 1994 की धारा 2(टी)(ii) में समाहित 'विक्रय' की परिभाषा का अर्थ माल में संपत्ति का अंतरण है, चाहे वह माल के रूप में हो या कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल किसी अन्य रूप में। श्री दुबे आगे यह निवेदन करेंगे कि अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, किसी व्यापारी द्वारा अनुसूची II में विनिर्दिष्ट माल के अपने कर-योग्य आवर्त (टर्नओवर) पर कर देय होता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 2(डब्ल्यू) के अनुसार, कर-योग्य आवर्त से तात्पर्य उस आवर्त से है जिसमें से कर-मुक्त विक्रय, कर-दत्त विक्रय, घोषणा पत्र पर बेचे गए माल और आवर्त में सम्मिलित कर को घटा दिया गया हो। वे आगे यह तर्क देंगे कि अधिनियम की धारा 2(एक्स), 'कर-दत्त माल' को एक पंजीकृत व्यापारी से क्रय किए गए और अनुसूची II के भाग II से VI में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के रूप में परिभाषित करती है, जिस पर प्रथम बिंदु पर कर का भुगतान कर दिया गया हो। अधिनियम की धारा 9-बी, जिसे दिनांक 01.05.1997 से अंतःस्थापित किया गया था, ऐसे आवर्त में से घोषित माल के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और उसमें निहित कर तत्व को घटाने के पश्चात किसी भी कर-दत्त माल के पुनर्विक्रय के संबंध में कर के अधिरोपण का प्रावधान करती है। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य ने मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 को अपनाया है, अतः 2000-2001 के दौरान कर की दर 8% थी। सुसंगत अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 10-ए के अधीन, कर पर 15% का अधिभार उद्ग्रहणीय था। इस प्रकार, प्रभावी दर 9.2% थी। निर्धारण आदेश में, कर की गणना अधिनियम की धारा 9-बी के अधीन की गई थी। सहायक आयुक्त ने उस व्यापारी के पास कर-दत्त माल के विक्रय मूल्य का उल्लेख 1,13,71,311/- रुपये के रूप में किया है जिससे उन्हें क्रय किया गया था। उनके स्वयं के आदेश के अनुसार, अनुमत विक्रय मूल्य 1,19,75,730/- रुपये है। 6,04,419/- रुपये का अंतर वह राशि है जो 9.2% की दर से अधिनियम की धारा 9-बी के अधीन कर योग्य है। तथापि, ए.ओ. ने 1,13,71,311/- रुपये के क्रय पर 10% लाभ की गणना की है जो कि 11,37,131/- रुपये है और इस पर 9.2% की दर से कर अधिरोपित किया है जो 1,04,616/- रुपये होता है। यह न केवल त्रुटिपूर्ण है बल्कि असंवैधानिक भी है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्योंकि लाभ पर कोई विक्रय कर नहीं लगाया जा सकता। यह केवल 6,04,419/- रुपये के मूल्य संवर्धन पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार, 6,04,419/- रुपये पर 9.2% की दर से कर 55,610/- रुपये बनता है।

4. श्री दुबे ने आगे यह तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय ने 'गैनन डंकरले एंड कंपनी बनाम राजस्थान राज्य'[1] के मामले में, कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल माल के मूल्य का निर्धारण करने के सिद्धांतों को निर्धारित किया है। इस प्रकार, पूर्वोक्त मामले में प्रतिपादित विधिक अनुपात को लागू करने पर, ए.ओ. के साथ-साथ पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा की गई गणनाएँ त्रुटिपूर्ण हैं, अतः उन्हें अभिखंडित किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री भाटिया यह निवेदन किया कि स्वयं याचिकाकर्ता फर्म के तर्क के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 45,54,025/- रुपये का सकल लाभ दर्शाया है जो कुल कार्य अनुबंध प्राप्ति 2,64,30,147/- रुपये के विरुद्ध अर्जित किया गया था, जो लगभग 17.23% होता है। चूंकि 17.23% की दर से लाभ स्वीकार्य रूप से याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित किया गया था, इसलिए, स्थानीय खरीद के कुल मूल्य, जो कि 19,59,276.88/- रुपये के बराबर है, उस पर इसे जोड़ा जाना है जैसा कि स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है और जो गैनन डंकरले एंड कंपनी (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि के अनुरूप है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 9-बी के प्रावधानों के अनुसार ऐसी खरीद पर याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित लाभ की दर पर, स्थानीय खरीद के मूल्य संवर्धन पर 9.2% की दर से वैट कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त निर्णय के कंडिका 45(एच) के अनुसार, ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ उस सीमा तक है जहाँ तक वह श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। श्री भाटिया आगे यह निवेदन करेंगे कि लाभ की दर अर्थात् संबंधित लाभ को सामग्री की लागत में जोड़ा जाना है जो सेवाओं के अंतर्गत आती है, इसलिए, चूंकि याचिकाकर्ता ने 17.23% की दर से लाभ अर्जित किया है, इसलिए सामग्री के विरुद्ध मूल्य संवर्धन, जो वैट के लिए उत्तरदायी है, 17.23% की दर पर होगा। इस प्रकार, ए.ओ. द्वारा की गई गणना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] 1993 88 (एसटीसी) 204 (एससी)

और इसके आगे, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और उचित है।

6. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिवचनों एवं उनसे संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

7. अधिनियम की धारा 9-बी, विशेष परिस्थितियों में कर के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है, विशेष रूप से अनुसूची II के भाग II से VI में विनिर्दिष्ट किसी भी माल के पुनर्विक्रय पर कर के भुगतान के मामले में। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि इसमें शामिल माल विनिर्दिष्ट माल है।

8. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि ए.ओ. द्वारा की गई गणना विधि की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा गैनन डंकरले एंड कंपनी (पूर्वोक्त) में, कार्य अनुबंध के निष्पादन में माल के मूल्य निर्धारण के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"इसलिए, कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल के मूल्य का निर्धारण पूरे कार्य अनुबंध के मूल्य को ध्यान में रखकर और उसमें से श्रम और सेवाओं के शुल्क को घटाकर करना होगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे:

(क) कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम शुल्क;

(ख) श्रम और सेवाओं के लिए उप-ठेकेदार (सब-कॉन्ट्रैक्टर) को भुगतान की गई राशि;

(ग) योजना बनाने (प्लानिंग), रूपरेखा तैयार करने (डिजाइनिंग) और वास्तुकार (आर्किटेक्ट) के शुल्क;

(घ) कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों को किराए पर या अन्यथा प्राप्त करने के शुल्क;

(ङ) कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली उपभोग्य वस्तुओं (कंज्यूमेबल्स) जैसे पानी, बिजली, ईंधन आदि की लागत, जिसकी संपत्ति कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरित नहीं होती है; और

(च) ठेकेदार के स्थापना (एस्टेब्लिशमेंट) की लागत उस सीमा तक जहाँ तक वह श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(छ) श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य समान व्यय;

(ज) ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ उस सीमा तक जहाँ तक वह श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है।

इन मदों के तहत कटौती योग्य राशियों का निर्धारण ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किसी विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में करना होगा।"

पूर्वोक्त निर्णय आज भी प्रभावी है।

9. याचिकाकर्ता ने एक चार्ट प्रस्तुत किया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि अधिनियम की धारा 9- ख के तहत कर का निर्धारण कैसे किया जाना है, जो इस प्रकार है:

1. कार्य अनुबंध के दौरान उपयोग किए गए कर-दत्त रु 1,19,75,730.00
माल का आवर्त जिसे बिक्री माना गया (निर्धारण आदेश के अनुसार)|

2. घटाएं: उस विक्रेता के पास माल का विक्रय मूल्य रु 1,13,71,311.00

जिससे खरीदा गया था
(निर्धारण आदेश के अनुसार क्रय मूल्य)

धारा 9-बी के तहत कर के लिए उत्तरदायी शेष राशि रु 6,04,419.00

9.2% की दर से कर रु 55,610.00

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ए.ओ. ने लाभ के प्रतिशत के आधार पर माल के मूल्य की गणना की है, अर्थात राज्य के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार लगभग 17.23%। कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल के मूल्य को निर्धारित करने का यह सही तरीका नहीं है। ए.ओ. ने गैनन डंकरले एंड कंपनी (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित निर्णय के अनुसार श्रम, सेवाओं, मशीनरी के उच्च शुल्क, उपभोग्य वस्तुओं, श्रम और सेवाओं पर लाभ, अंतर्राज्यीय माल के मूल्य, राज्य के बाहर या निर्यात के दौरान, और बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत कर से छूट प्राप्त माल की बिक्री को घटाने के बाद कार्य अनुबंध में शामिल माल का कोई मूल्य नहीं दिखाया है, और गणना लाभ के आधार पर नहीं की जा सकती है।

11. तदनुसार, अवधि 01.04.2000 से 31.03.2001 के लिए ए.ओ. अर्थात सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित निर्धारण आदेश (अनुलग्नक पी/2), और उसके पश्चात अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 10.01.2005 के आदेश

(अनुलग्नक पी/4) द्वारा जिसकी पुष्टि की गई थी, उन्हें अभिखंडित किया जाता है।

12. इस प्रकार, उपरोक्त के आलोक में, मामले को ए.ओ. के पास वापस प्रतिप्रेषित किया जाता है ताकि वे ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करें और याचिकाकर्ता/करदाता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद एक नया आदेश पारित करें। यदि कोई कर निर्धारण आदेश (अनुलग्नक पी/2) और साथ ही दिनांक 10.01.2005 के पुनरीक्षण आदेश (अनुलग्नक पी/4) के अनुसरण में भुगतान किया गया है, तो उसे ए.ओ. द्वारा अंतिम निर्धारण आदेश पारित होने तक करदाता को वापस नहीं किया जाएगा, हालांकि, उसके बाद इसे समायोजित किया जा सकता है।

13. परिणामस्वरूप, रिट याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI